

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 13)3/462/बजट/09
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26.8.2009

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय-आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में ।


गतवर्ष 2008-09 में कतिपय महाविद्यालयों की जानकारी अनुसार देखने में आया कि आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का वेतन कोषालय से 12-मजदूरी मद से आहरण करने में कठिनाई आ रही है । इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में वेतन आब्जेक्ट -11 के अन्तर्गत "002- कार्यभारित /आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों का वेतन"शीर्ष में प्रावधान किया गया है ।

अतः आपके महाविद्यालय में कार्यभारित/ आकस्मिकता सेवा के पात्र कर्मचारी कार्यरत है तो इस कार्यालय को निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी 15 दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उक्त मद में बजट आबंटन की कार्यवाही की जा सके :-

क.	कार्यभारित/आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत स्वीकृत पद का क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत कर्मचारी का नाम एवं पद	कर्मचारी का प्रथम नियुक्ति दिनांक	वित्तीय वर्ष 2009-10 की शेष अवधि के लिए 11-002 में बजट की आवश्यकता
1.	2	3	4	5	6

उक्त जानकारी में 12-मजदूरी मद के अन्तर्गत कार्यरत पात्र कर्मचारियों की जानकारी शामिल नहीं की जावे ।

कृपया उक्त जानकारी इस कार्यालय के ई-मेल आई.डी. budgethedu@mp.gov.in पर प्रेषित करें ।


(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश